

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियन्स जज

नम्बर 10 व तारीख 10
अहकाम जो इस हुक्म
को तामील में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
राजस्व अपील सं0 754/2025 अनवान रतनी व अन्य बनाम
मुन्नाराम वगैरा


26.11.25

वकील अपीलांट एवं रेस्पोंसंट 3/1 व 3/2 के अधिवक्ता उपस्थित।
वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित
धारा 151 सीपीसी बाबत अपील विझो करने की अनुमती हेतु प्रस्तुत
किया, जिसकी प्रति रेस्पोंसंट अधिवक्ता को उपलब्ध करवायी गई, जिनके
द्वारा इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। पत्रावली सुनवाई हेतु
दिनांक 27.11.25 को संबंधित व उनके अधिवक्ता के साथ पेश हो।

Sidharth
(सीधार्थ)
तारक
(तारक)
विश्वनाथ
(विश्वनाथ)
(कायदेव)
(कायदेव)
रतनी

27.11.25

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं रेस्पोंसंट अधिवक्ता उपस्थित।
अपीलांट्स स्वयं उपस्थित, जिनके हस्ताक्षर की पहचान उनके अधिवक्ता
द्वारा की गई। वकील अपीलांट ने दिनांक 26.11.25 को अपील विझो
करने संबंधी प्रार्थना पत्र के संदर्भ में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त
अपील के पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश एवं लोक अदालत की
भावना से राजीनामा हो गया है। इसलिए अपीलार्थीगण इस अपील को
आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा अपील विझो करना चाहते हैं। अतः
उक्त अपील जरिये विझो खारिज फरमावे।



अतिरिक्त
रतनी
शुभ
मंजु
अतिरिक्त

अतः वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
अपीलान्ट की उक्त अपील जरिये विझो खारिज की जाती है। प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड निर्णय की
सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय आज दिनांक को खुले
न्यायालय लिखाया जाकर, सुनाया गया।

24/11/25
(सुनिता चौधरी)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त राजोधपुरी आयुक्त
जोधपुर



नम्बर 10 व तारीख 10
अहकाम जो इस हुक्म
को तामील में जारी हुए